न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—43/2016/75 (2016/00043)

1. श्रवण कुमार पुत्र श्री नारायण, जाति जाट, निवासी ग्राम सोगावास, तह0 मेड़ता, जिला नागौर, हाल निवासी झम्बेश्वर कॉलोनी, ईदगाह रोड़, रोड़, वैशाली नगर, अजमेर जिला अजमेर ।
2. युसुफ खान पुत्र मुमताज खान, जाति चीता, नि0 ग्राम रातीडांग, वैशाली नगर, अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. श्री वीर तेजाजी महाराज सेवा समिति ग्राम मांगलियावास, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर जरिये अध्यक्ष शिवजी पुत्र नारायण जाखड़, जाति जाट, निवासी ग्राम मांगलियावास, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।
2. श्री वीर तेजाजी महाराज सेवा समिति ग्राम मांगलियावास, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर जरिये सचिव महेश पुत्र अमरचन्द पूनिया, जाति जाट, नि0 ग्राम मांगलियावास, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन, जिला अजमेर ।

रेस्**पोडेंटस**

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर, आदेश क्रमांक एफ.12 (सी)/कअ/राजस्व/15/147 दिनांक 31.12.2015.

उपस्थितः—

1. श्री एन0एस0राजावत, वकील अपीलांटस ।
2. श्री वी0एस0 भाटी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 3 .

निर्णय

दिनांकः— 27.9.2019

1. यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश क्रमांक एफ.12 (सी)/कअ/राजस्व/15/147 दिनांक 31.12.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा वीर तेजा मेला समिति, मांगलियावास ग्राम मांगलियावास तहसील पीसांगन, जिला अजमेर के प्रार्थना पत्र पर ग्राम मांगलियावास के खसरा नंबर 770 किस्म गै0मु0 देवस्थान रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 770/2633 किस्म बा—3 रकबा 0.07 है0, खसरा नंबर 771 किस्म चा—2 रकबा 0.06 है0, खसरा नंबर 772 रकबा किस्म चा—2 रकबा 00.05 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.19 है0 भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ (मेला आयोजन हेतु) आरक्षित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने

आदेश क्रमांक एफ.12 (सी)/कअ/राजस्व/15/147 दिनांक 31.12.2015 के द्वारा निम्न वर्णित भूमि को राजस्थान भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 92 के प्रावधानानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ (श्री वीर तेजाजी मेला मैदान हेतु) आरक्षित करने के आदेश पारित किये । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया किया कि प्रार्थीगण विवादित भूमि के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध नियमित रूप से कार्यवाही करते हुए जिलाधीश, अजमेर एवं विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के समक्ष पक्षकार रहे है, जिन्हें बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना एकपक्षीय रूप से आदेश दिनांक 31.12.2015 पारित किया गया है जिससे प्रार्थीगण व्यथित पक्षकार होकर मूल अपील प्रस्तुत की गई है परन्तु गुणावगुण पर सुनवाई के समय किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं रहे, इसलिये विधिवत् अनुमति हेतु पृथक से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन, प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत तथा कानून, न्याय एवं समानता प्रार्थीगण के पक्ष में निहित करते है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.12.2015 के विरूद्ध प्रार्थीगण को अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए बहस करते हुए बहस में कथन किया कि विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.12.2015 पूर्णतया विरूद्ध न्याय, नियम एवं रिकार्ड होकर निरस्त किये जाने योग्य है । अपीलांटस द्वारा पूर्णतया विधिवत् कार्यवाही किये जाने तथा उक्त तथ्यों की विद्वान जिला कलक्टर व विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन को विधिवत् जानकारी होने के उपरांत भी अपीलांटस को किसी प्रकार से सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना आदेश दिनांक 31.12.2015 पारित किया गया है जो पूर्णतया प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अपीलांटस एवं उनके पूर्वाधिकारियों द्वारा सम्पादित की गई विधिक कार्यवाहियों के परिप्रेक्ष्य में आरक्षित की गई भूमियां पूर्णतया विवादित होकर प्रकरण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होने के उपरांत भी विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा विधिक प्रावधानों एवं विधिक प्रकिया की पालना किये बिना रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को अनुचित लाभ पहुंचाने की गरज से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है । रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा अविधिक एवं अनाधिकृत रूप से सिवायचक भूमि पर किये जा रहे अतिक्रमण/निर्माण को रोके जाने बाबत् नियमित वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के तहत उपखण्ड अधिकारी के समक्ष कार्यवाही सम्पादित की गई जिसमें पारित आदेश दिनांक 20.10.2015 की पालना में राजस्व एजेन्सी द्वारा दिनांक 21.10.2015 को मौके पर जाकर अविधिक कार्य को रोका गया है । ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के समक्ष भी विवाद एवं प्रकरण की पूर्ण जानकारी होने के उपरांत भी अनुचित रूप से तथ्या को छिपाकर भूमि को आवंटित/आरक्षित किये जाने की सिफारिश की गयी है जो पूर्णतया विधिविरूद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा अपीलांटस के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक

20.10.2015 की पालना में दिनांक 21.10.2015 को राजस्व एजेन्सी द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के विरूद्ध धारा 91 राज0भू–राजस्व अधि0 के तहत प्रकरण संख्या 261/2015 दर्ज करते हुए दिनांक 23.10.2015 को नोटिस जारी किये गये जिसमें भी अपीलांट द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर पक्षकार बनते हुए सिवायचक भूमि के समीप स्थिति भूमि के खातेदार होने तथा अपने पूर्वाधिकारियों के समय से कब्जा काश्त होने के कारण छोटी पट् टी के रूप में बाजार मूल्य के आधार पर कीमतन आवंटन/नियमन किये जाने का निवेदन किया जो प्रतिवेदन भी वर्तमान रेस्पो0 संख्या 3 की न्यायालय पत्रावली पर विद्यमान है । इस प्रकार अपीलांटस द्वारा सिवायचक भूमि को छोटी पट्टी के रूप में कीमतन आवंटन/नियमन किये जाने का लिखित में निवेदन किये जाने के उपरांत भी उक्त तथ्यों को छिपाकर रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को अनुचित लाभ पहुंचाते हुए राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया है ।

6. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांटस को विश्वस्त व्यक्तियों से ज्ञात होने पर कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 राजनैतिक प्रभाव एवं पहुंच के आधार पर तथ्यों को छिपाकर राजस्व एजेन्सी से निशुल्क भूमि आवंटित/आरक्षित करवाये जाने पर आमादा है जिस पर अपीलांटस द्वारा जरिये अधिवक्ता विद्वान जिला कलक्टर के समक्ष दिनांक 30.12.2015 को उक्त वर्णित भूमियों के संबंध में संपूर्ण तथ्यों के बाबत् लिखित प्रतिवेदन पेश किया था । इसके बावजूद विद्वान जिला कलक्टर ने संपूर्ण तथ्यों की जांच किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । विवादित भूमियां मांगलियावास से नसीराबाद तथा अजमेर से ब्यावर राजमार्ग के मुख्य सड़क/तिराहे पर अवस्थित होकर मूल्यावान भूमियां है जिसके अपीलांटस समीपवर्ती खातेदार होकर बाजार मूल्य पर आवंटन/नियमन करवाये जाने का निवेदन किया था परन्तु विद्वान जिला कलक्टर ने रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को अनुचित लाभ पहुंचाने की गरज से उपरोक्त तथ्यों की जांच किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । विधिक प्रावधानों एवं प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में किसी सिवायचक भूमि को आवंटन/नियमन किये जाने हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते है तो उस सिवायचक भूमि को नीलामी के आधार पर अथवा अत्यधिक मूल्य जमा करवाये जाने वाले व्यक्ति को ही आवंटन/नियमन की जाती है परन्तु विद्वान जिलाधीश, अजमेर द्वारा संपूर्ण तथ्यों की विधिवत् जानकारी होने के उपरांत भी किसी भी विधिक प्रक्रिया की न तो पालना की गई तथा न ही राजहितों को ध्यान ममें रखा गया है । ऐसी स्थिति में विद्वान जिला कलक्टर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.12.2015 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.12.2015 को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः दोनों पक्षों को सुना जाकर विधिवत् रूप से पात्र व्यक्ति को आवंटन/नियमन किये जाने बाबत् नवीन निर्णय पारित किये जाने हेतु अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जावे ।

7. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 एवं 2 ने लिखित क्रॉस आब्जेक्शन पेश कर प्रारंभिक आपत्ति पेश कर कथन किया कि अपीलांटस के अनुसार हाल खसरा नंबर 774 रकबा 0.01 है0, 775 रकबा 0.24 है0 एवं खसरा नंबर 776 रकबा 0.29 है0 के वर्किंग खसरा नंबर 498 रकबा 3–7–00 बीघा के चौसाला खसरा नंबर 348 रकबा 3–7–0 के मूल खातेदार शांतिप्रसाद पुत्र माधोप्रसाद जाति ब्राहमण रहे जिनके द्वारा उक्त भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र प्रदीप शुक्ला पुत्र भूदेव शुक्ला के हक में विक्रय कर भौतिक आधिपत्य संभला दिया गया जिसके आधार पर आदेश

क्रमांक 5337 दिनांक 7.7.1976 से प्रदीप शुक्ला के नाम खातेदारी स्वीकृत की गयी जिसके द्वारा उक्त भूमि विमल कुमार, रिषभकुमार को विक्रय की गई जिसके आधार पर नामांतकरण संख्या 154 दिनांक 20.12. 2003 स्वीकृत किया गया है । अपीलांट के अनुसार उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के समक्ष भी रिषभ कुमार जैन बनाम राज0 सरकार के नाम से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज0भू–राजस्व अधि0 का प्रस्तुत किया हुआ है । इसी प्रकार हाल खसरा नंबर 770 रकबा 0.01 है0 का वर्किंग खसरा नंबर 500 रकबा 0.01 है0 का चौसाला खसरा नंबर 350 रकबा 00–01–00 गैर मुम0 देवस्थान दर्ज है । क्रॉस आब्जेक्शन में आगे कथन किया कि ग्राम मांगलियावास के हाल खसरा संख्या 771, 772, 770/2633 के संबंध में तहसीलदार, पीसांगन द्वारा प्रस्तुत परिवर्तनशील पी–14 की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई है जिसके अनुसार हाल खसरा नंबर 770 रकबा 0.01 है0 के वर्किंग खसरा नंबर 550 रकबा 0.01 है0 चौसाला खसरा नंबर 350 रकबा 1 बिस्वा, हाल खसरा नंबर 771 रकबा 0.06 है0 के वर्किंग खसरा नंबर 499 मिन रकबा 0.06 है0 के चौसाला खसरा नंबर 351 रकबा 6–5–10, हाल खसरा नंबर 772 रकबा 0.05 है0 के वर्किंग खसरा नंबर 499 मिन रकबा 0.05 है0 तथा हाल खसरा नंबर 770/2633 रकबा 0.07 है0 के वर्किंग खसरा नंबर 499 मिन रकबा 0.07 है0 कायम किये गये है । वर्किंग खसरा नंबर 499 मिन रकबा 00–15–00 पर संवत् 2036 से छगनलाल पुत्र देवा कुम्हार के नाम चूने का भट्टा की खसरा परिवर्तनशील पी–14 से धारा 91 की रिपोर्ट हुई है। चौसाला खसरा संख्या 351 रकबा 10 बिस्वा पर संवत् 2037 में छगना पुत्र देवा के नाम चूने भट्टे का अवैध निर्माण होने पर धारा 91 की कार्यवाही की गई है । चौसाला खसरा संख्या 351 रकबा 3 बिस्वा पर संवत् 2040 में छगना के नाम होटल, मकान का निर्माण किये जाने से धारा 91 की कार्यवाही की गई । इसी प्रकार संवत् 2043 में वर्किंग खसरा नंबर 499 मिन रकबा 3 बिस्वा पर बृजमोहन शर्मा के नाम ढाबा तथा वर्किंग खसरा नंबर 499 मिन रकबा 5 बिस्वा नपर प्रदीप कुमार वलद भूदेव शुक्ला के नाम पेट्रोल पम्प की खसरा परिवर्तनशील से धारा 91 की कार्यवाही हुई है । उपरोक्तानुसार धारा 91 की विभिन्न वर्षो में कार्यवाही किये जाने से यह स्पष्ट है कि खसरा संख्या 770, 770/2633, 771, 772 एवं 774, 775, 776 से अपीलांट को कोई वास्ता नहीं है ओर न ही अपीलांट की खातेदारी में उपरोक्त वर्णित खसरा नंबर की आराजी कभी भी रही है । ऐसी स्थिति में अपीलांट का उक्त सम्पति में कोई हित निहित नही होने से उक्त अपील प्रस्तुत करने की कोई लोकस अपीलांटस को नहीं है । इसलिये अपील प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज योग्य है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत खसरा परिवर्तनशील पी–14 की तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार खसरा संख्या 499 का रकबा 10 बिस्वा की भी नहीं रहा है बल्कि खसरा संख्या 499 का रकबा 6 बीघा 15 बिस्वांसी रहा है जो संवत् 2036 के पूर्व से ही सिवायचक भूमि दर्ज रहा है जिस पर किसी प्रकार का सुखाधिकार कथित प्रदीप शुक्ला या अन्य किसी को निहित रहने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन ने वीर तेजाजी मेला मैदान समिति, मांगलियावास के प्रार्थना पत्र पर खसरा संख्या 770 किस्म गै0मु0 देवस्थान रकबा 0.01 है0, खसरा संख्या 770/2633 किस्म बा–3 रकबा 0.07 है0, खसरा संख्या 771 किस्म चा–2 रकबा 0.06 है0 एवं खसरा संख्या 772 किस्म चा–2 रकबा 0.05 है0 भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ मेला आयोजन हेतु सिवायचक भूमि को आरक्षित करने का प्रस्ताव विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर को अपनी अनुशंषा सहित प्रस्तुत किया जाने पर विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने आदेश दिनांक 31.12.2015 के द्वारा राजस्थान भू–राजस्व

अधि0 1956 की धारा 92 के प्रावधानानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ (श्री वीर तेजाजी मेला मैदान हेतु) आरक्षित करने के आदेश प्रदान किये जिसके अनुसार रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने आरक्षित भूमि पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करवाया लिया है । अपीलांटस की खातेदारी व आधिपत्य की भूमि पर रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण/अतिचार किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

8. विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 23 को न तो खसरा नंबर 171 व खसरा संख्या 172 की सिवायचक भूमि आरक्षित करने का कोई आदेश विद्वान जिला कलक्टर के द्वारा प्रदान किया गया है और न ही रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के द्वारा संख्या 171 व 172 की सिवायचक भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण ही किया गया है तो उसे बंद करवाने एवं अतिक्रमण मुक्त करवाये जाने के आदेश उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा दिनांक 20.10.2015 को दिये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । वस्तु स्थिति यह है कि विद्वान जिला कलक्टर ने उक्त कथित आदेश दिनांक 20.10.2015 के पश्चात् दिनांक 31.12.2015 को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ श्री वीर तेजाजी मेला मैदान हेतु खसरा संख्या 770, 770/2633, 771 व 772 की सिवायचक भूमि को आरक्षित करने के आदेश उपखण्ड अधिकारी, पीसांनग द्वारा अनुशंसा भिजवाये जाने पर पारित किये है । राजस्थान भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 92 में कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकारिता प्रदत्त है कि वह किसी भी लोक प्रयोजन के लिये भूमि आरक्षित करने के आदेश प्रदान कर सकते है । इसमें कहीं पर भी यह प्रावधान नहीं है कि सिवायचक भूमि को किसी लोक प्रयोजन के लिये आरक्षित करने के आदेश पारित करते समय अपीलांट जिसका कि उक्त सिवायचक भूमि से कोई वास्ता सरोकार नहीं है, को सुना जाये । इसलिये अपीलांट का यह कथन कि विद्वान जिला कलक्टर का आदेश एकपक्षीय आदेश है, कथन करना गलत व विधि के आज्ञापक प्रावधानों के प्रतिकूल है । खसरा नंबर 770, 770/2633, 771 व 772 हमेशा से ही सिवायचक भूमियां दर्ज रही है जिससे अपीलांटस एवं उसके कथित पूर्व अधिकारी का कोई वास्ता नहीं है तो ऐसे में उक्त भूमियों के विवादित होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। विद्वान जिला कलक्टर ने आदेश दिनांक 31.12.2015 को विधि प्रावधानों एवं विधिक प्रक्रिया की पालना करके ही पारित किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । खसरा नंबर 770 की भूमि की किस्म पूर्व में ही गै0मु0 देवस्थान दर्ज है जिस पर तेजाजी महाराज की देव मूर्ति स्थापित है तथा उक्त तेजाजी महाराज के आसपास हर वर्ष मेला भरता है जिसमें न केवल मांगलियावास बल्कि आस पास के कई गांवों से लोग तेजाजी महाराज देव मूर्ति में आस्था रखते है और इस मेले में सम्मिलित होते है इसी कारण उक्त आराजियात मेला मैदान हेतु आरक्षित की है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है ।

9. जवाब बहस में विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 ने बहस में कथन किया कि विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश विधिसम्मत् है। विवादित आरायिजात सिवायचक दर्ज होने से मेला मैदान हेतु आरक्षित की गई है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

10. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत क्रॉस आब्जेक्शन/प्रारंभिक आपत्ति का अवलोकन किया । पक्षकारान के मध्य यह स्वीकृत तथ्य है कि बरवक्त आरक्षण आदेश दिनांक 31.12.2015 अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 770 रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 770/2633 रकबा 0.07 है0, खसरा नंबर 771 रकबा 0.06 है0 एवं खसरा नंबर 772 रकबा 0.05 है0 भूमियां राजस्व अभिलेख के अनुसार सिवायचक भूमियां रही है । विवादित

आरायिजात सिवायचक होने के कारण विधिवत् संपूर्ण जांच रिपोर्ट तलब कर विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा दिनांक 31.12.2015 को अपीलाधीन भूमियां सार्वजनिक प्रयोजनार्थ (श्री वीर तेजाजी मेला मैदान हेतु) आरक्षित की गई है । अपीलांटस ने बरवक्त बहस यह तर्क रहा है कि अपीलाधीन भूमियां विवादित भूमियां है क्योंकि कुछ व्यक्तियों द्वारा अपीलाधीन भूमियों पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कार्य प्रारंभ करने के कारण उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया एवं उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के आदेशानुसार ही निर्माण कार्य रोके गये है परन्तु अपीलांटस के उक्त कथन से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अपीलाधीन भूमियां अपीलांटस के खातेदारी अथवा कब्जे की रही हो एवं विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा आरक्षित करने में तथ्यात्मक त्रुटि कारित की हो । बरवक्त बहस अपीलांटस का यह भी कथन रहा है कि अपीलाधीन भूमियां छोटी पट्टी के रूप में अपीलांटस द्वारा कीमतन नियमन/आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया परन्तु नियमन/आवंटन नहीं की गई है । हाजा न्यायालय अपीलांटस के इस तर्क से भी सहमत नहीं है कि मात्र छोटी पट्टी के रूप में आवेदन करने मात्र से अपीलांटस को कोई विधिक अधिकार अपीलाधीन भूमियों में प्राप्त हो जाते हो । रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत क्रास आब्जेक्शन में भी रेस्पो0 का यही कथन है कि अपीलाधीन भूमियां प्रारंभ से सिवायचक दर्ज रही है एवं जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा विधिसम्मत् रूप से सार्वजनिक प्रयोजनार्थ (श्री वीर तेजाजी मेला मैदान हेतु) आरक्षित की गई है । अपीलांट किस तरह अपीलाधीन आदेश से व्यथित पक्षकार है सिद्ध करने में असमर्थ रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक अतिक्रमी को विधिवत् किये आवंटन के विरूद्ध अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करना भी न्यायसंगत नहीं है। हस्तगत प्रकरण में यह भी जाहिर है कि आवंटन की प्रक्रिया नियमानुसार संपादित कर सरकारी भूमि का शाश्वत नाबालिग मंदिर मूर्ति को आवंटन किया गया है जिससे किसी भी विधिक अधिकार का हनन निजी व्यक्तियों का नहीं हुआ है। उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपीलांटस द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 96 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र में अपीलांटस को व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाता जाता है तथा रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत क्रोस आब्जेक्शन को उपरोक्तानुसार निर्णित किया जाता है ।

11. अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 अस्वीकार किये जाने से अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 27.9.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,अजमेर